2013/00067
2013/00069

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 54 / 2013 (उदयपुर डिक्री)

बद्रीलाल पिता मांगीलाल जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कन्नीराम पिता जेना जी रेबारी (मृतक) के बजाय :–

1/1. मु॰ धापू बेवा कन्नीराम जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती कैलाश (पिता कन्नीराम जी) पत्नी हीरालाल जी रेबारी, निवासी तेजपुरा की ढाणी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/3. श्रीमती गेमी (पिता कन्नीराम जी) पत्नी नानूराम जी रेबारी, निवासी मेवासा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/4. श्रीमती मोहनी (पिता कन्नीराम जी) पत्नी भेरूलाल जी रेबारी, निवासी सोडावास (शीशवी), तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. श्रीमती मुकेशी (पिता कन्नीराम जी) पत्नी मुकेश जी रेबारी, निवासी सोडावास (शीशवी), तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. गरवर पिता जेना जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3. जीवा पिता भाना जी रेबारी (मृतक) के बजाय :–

3/1. पूजा पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. गोकल पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. गमेरा पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/4. कालू पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/5. श्रीमती माणी बाई (पिता जीवा जी) पत्नी भंवर जी रेबारी, निवासी कराली की ढाणी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/6. श्रीमती शुगना बाई (पिता जीवा जी) पत्नी जोधराज जी रेबारी, निवासी आशावरा की ढाणी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

3/7. श्रीमती गीता (पिता जीवा जी) पत्नी हीरा जी रेबारी, निवासी सीपर की ढाणी, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

4. पहाडा पिता भाना जी रेबारी (मृतक) के बजाय :–

4/1. मु॰ बसन्ती बाई बेवा पहाडा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. श्रीमती मीरा बाई (पिता पहाडा जी) पत्नी मोहन जी रेबारी, निवासी बाठेडा की ढाणी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/3. श्रीमती हगामी (पिता पहाडा जी) पत्नी शंकर जी रेबारी, निवासी खाखरमाला, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

4/4. श्रीमती श्यामा बाई (पिता पहाडा जी) पत्नी राजू जी रेबारी, निवासी रासेटी की ढाणी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4. मु॰ थानी बेवा बीजल जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 11–08–2008 प्र.सं. 102/04

———::———

(2) प्रकरण संख्या 55/2013 (उदयपुर डिक्री)

बद्रीलाल पिता मांगीलाल जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कन्नीराम पिता जेना जी रेबारी (मृतक) के बजाय :–

1/1. मु॰ धापू बेवा कन्नीराम जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती कैलाश (पिता कन्नीराम जी) पत्नी हीरालाल जी रेबारी, निवासी तेजपुरा की ढाणी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/3. श्रीमती गेमी (पिता कन्नीराम जी) पत्नी नानूराम जी रेबारी, निवासी मेवासा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/4. श्रीमती मोहनी (पिता कन्नीराम जी) पत्नी भेरूलाल जी रेबारी, निवासी सोडावास (शीशवी), तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. श्रीमती मुकेशी (पिता कन्नीराम जी) पत्नी मुकेश जी रेबारी, निवासी सोडावास (शीशवी), तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. गरवर पिता जेना जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3. जीवा पिता भाना जी रेबारी (मृतक) के बजाय :–

3/1. पूजा पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. गोकल पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. गमेरा पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/4. कालू पिता जीवा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3/5. श्रीमती माणी बाई (पिता जीवा जी) पत्नी भंवर जी रेबारी, निवासी कराली की ढाणी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/6. श्रीमती शुगना बाई (पिता जीवा जी) पत्नी जोधराज जी रेबारी, निवासी आशावरा की ढाणी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

3/7. श्रीमती गीता (पिता जीवा जी) पत्नी हीरा जी रेबारी, निवासी सीपर की ढाणी, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर (राज.)

4. पहाडा पिता भाना जी रेबारी (मृतक) के बजाय :–

4/1. मु॰ बसन्ती बाई बेवा पहाडा जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. श्रीमती मीरा बाई (पिता पहाडा जी) पत्नी मोहन जी रेबारी, निवासी बाठेडा की ढाणी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/3. श्रीमती हगामी (पिता पहाडा जी) पत्नी शंकर जी रेबारी, निवासी खाखरमाला, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

4/4. श्रीमती श्यामा बाई (पिता पहाडा जी) पत्नी राजू जी रेबारी, निवासी रासेटी की ढाणी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4. मु॰ थानी बेवा बीजल जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ.1955 विरूद्ध संशोधित निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 18–03–2013 प्र.सं. 102/04

———::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजमल मेनारिया अभिभाषक रेस्पो. सं. 2
3– श्री सुनील शर्मा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1/1

———::———

निर्णय **दिनांक 23–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुरियाखेड़ी में वाद पत्र की परिशिष्ट ''क'' की कुल किता 9 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित होकर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की कुल किता 3 रकबा 14 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 के नाम व अन्य हिस्सा सहखातेदारान के नाम अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष सेरा जी के तीन पुत्र जेना, भाना व हंजा हुए। हंसा के एक पुत्र बिजल हुआ, भाना के दो पुत्र जीवा व पहाड़ा हुए तथा जेना के 4 पुत्र पोखर, मांगीलाल, कनीराम व गरवर हुए। मांगीलाल के एक पुत्र बद्रीलाल हुआ। पोखर की बेवा कुरीबाई है तथा उनके कोई संतान नहीं होने से उन्होंने अपने भाई मांगीलाल के पुत्र बद्रीलाल को गाद रखा। उक्त भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमियां होकर सेरा के वक्त से चली आ रही हैं। वाद पत्र की कलम संख्या ''क'' व ''ख'' की आराजियात में वर्णित 1/3 हिस्से की भूमि हमारी मौरूसी जायदाद है और सेरा जी के तीनों पुत्र जेना, भाना व हंजा में न्यायगतिम हुई तथा जेना के मरने के बाद पोखर, मांगीलाल, कनीराम व गरवर में न्यायगमित हुई और भाना की सम्पत्ति उसके पुत्र जीवा एवं पहाड़ा में न्यायगतिम हुई। इसी प्रकार हंजा की सम्पत्ति उसके पुत्र बिजल में न्यायगतिम हुई। पोखर के कोई संतान नहीं होने से मांगीलाल के पुत्र को बद्रीलाल को जाति रीति रिवाज से गोद रखा, जिससे पोखर की सम्पत्ति पर

पुत्र की हैसियत से बद्रीलाल काबिज है। जेना के मरने के बाद विरासत का नामान्तरकरण हमारे बड़े भाई पोखर के नाम खुल गया तथा अन्य भाईयों का नाम अंकित नहीं हुआ। इसके बाद पोखर के मरने पर उसकी बेवा कुरीबाई के नाम अंकित हो गयी, जबकि परिशिष्ट ''क'' की भूमियों में वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा हक अधिकार एवं आधिपत्य है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की भूमियों में वादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हिस्सा होकर पक्षकार इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। अतएवं निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या ''क'' की भूमियों में वादी संख्या 1 को 1/12 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का एवं इसी प्रकार कलम संख्या ''ख'' की भूमियों में वादी संख्या 1 को 1/36 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 को 1/36 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–09–2004 को मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो दिनांक 24–06–2006 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रतिवादी संख्या 2 को ओर से दिनांक 18–01–2006 को खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं पोखर का गोद पुत्र नहीं होकर मांगीलाल का पुत्र हूॅ। वास्तविकता यह है कि मैनें पोखर व उसकी पत्नी कुरीबाई की कोई संतान नहीं होने से सेवा चाकरी की, जिससे कुरीबाई ने दिनांक 28–02–2004 को मेरे पक्ष में अपनी चल–अचल संपत्ति की वसीयत कर दी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है। विशेष कथन में निवेदन किया कि कुरीबाई ने उसकी सेवा चाकरी से खुख होकर उसके पक्ष में वसीयत की। पोखर जी ने अपने जीवन काल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमि आज से करीब 35 वर्ष पूर्व ही उत्यागिक कर दी, तब से 35

वर्षो से पोखर जी की भूमि पर गरवर का कब्जा है और मेरा कब्जा पोखर जी के आवासीय मकान व बाड़े पर है।

प्रकरण में दिनांक 14–03–2007 को निम्नानुसार 5 तनकियात भी कायम की गयी :–

1. आया वाद वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट ''क'', ''ख'' में दर्ज भूमि में वादीगण परिशिष्ट ''क'' की आराजियात में से 1/12, 1/12 एवं परिशिष्ट ''ख'' की आराजियात में 1/36, 1/36 वां हिस्सा अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
2. आया विवादित भूमि अविभाजित पैत्रृक सम्पत्ति होकर सेरा जी के समय से चली आ रही है ? ..... वादीगण
3. आया प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके पति पोखर की सेवा चाकरी एवं मरणोपरान्त क्रिया कर्म प्रतिवादी संख्या 2 ने किया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में वसीयत कर दी ? ..... प्रतिवादी संख्या 2
4. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है ?..... प्रतिवादी संख्या 2
5. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य करवायी गयी, प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य नहीं करवाये जाने से दिनांक 18–02–2008 को उनकी साक्ष्य बन्द की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 11–08–2008 से वादीगण का वाद निम्नानुसार डिक्री किया :–

''अतः वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा पूरियाखेड़ी की आराजी नंबर 218/4, 188/ख, 168/3, 173/3, 175/3, 176/3, 176/6, 181/2, 189/3 किता 9 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में कुरीबाई का नाम हटाया जाकर वादी संख्या 1 को 1/3, वादी संख्या 2 को 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का तथा आराजी नंबर 218/6, 192, 221 किता 3 रकबा 14 बिस्वा में कुरीबाई का नाम हटाया जाकर वादी संख्या 1 को 1/27, वादी संख्या 2 को 1/27 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को

1/27 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की तहसीलदार वल्लभनगर को आदेश दिये जाते हैं। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। डिक्री पर्चा जारी हो।''

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त प्रकरण संख्या 102/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2008 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 बद्रीलाल द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 54/2013 दिनांक 25–04–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 102/2004 में दिनांक 18–03–2013 को अपनी डिक्री में शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 बद्रीलाल द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 55/2013 दिनांक 25–04–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 102/2004 में पारित दो पृथक–पृथक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं।

सर्वप्रथम हम प्रथम अपील संख्या 54/2013 का निर्णय करना उचित समझते हैं। यह प्रथम अपील अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25–04–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत होने पर पेशी पर आने से इंकार कर दिया था तथा बाद में भी कथित निर्णय की सूचना नहीं दी, जिससे अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी। रेस्पोन्डेन्ट गिरवर द्वारा घोषणा का नया वाद वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया, जिसके सम्मन अपीलान्ट को मिलने पर अपने अधिवक्ता विनोद ओस्तवाल से सम्पर्क किया तो पता चला कि डिक्री व निर्णय में दिनांक 18–03–2013 को संशोधन किया जाकर संशोधित डिक्री की पालना की कार्यवाही चल रही थी, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 01–04–2013 को संशोधित डिक्री की पालना को स्थगित रखते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, इससे पूर्व कोई जानकारी

नहीं थी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा दिनांक 18–01–2006 को पेश किया है तथा उक्त जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में दिनांक 14–03–2007 को तनकियात कायम की गयी है तथा इस पर वादी की साक्ष्य लेने के बाद उभयपक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में दिनांक 18–02–2008 को साक्ष्य प्रतिवादी के लिए 4 अवसर दिये जाने के बाद साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी है तथा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द होने के बाद बहस के लिए पत्रावली पर दिनांक 24–03–2008 से दिनांक 19–05–2008 तक करीब 6 अवसर देने के बाद उभयपक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में दिनांक 28–07–2008 को बहस सुनकर दिनांक 11–08–2008 को निर्णय उभयपक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है। उक्त निर्णय की मयाद दिनांक 10–10–2008 को अवसायित हो जाती है, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–04–2013 को अर्थात करीब 4½ वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिये उनके द्वारा जो आधार लिये गये हैं कि संशोधित डिक्री का आवेदन किये जाने पर उन्हें निर्णय की जानकारी हुई, यह तथ्य बरूऐ रेकार्ड किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है, 4½ वर्ष की निष्क्रियता के लिए जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार यह प्रथम अपील संख्या 54/2003 बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2008 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रकरण में जहां तक द्वितीय अपील संख्या 55/2013 का प्रश्न है, यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–3–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25–04–2013 को अन्दर मयाद प्रस्तुत होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 की ओर से वकील श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री राजमल मेनारिया उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

→ हमारे द्वारा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट रूप से नजर आता है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11–08–2008 के संशोधन के लिए अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 66/2011 गरवर द्वारा पेश किया गया था, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–03–2011 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निर्णय में वही नंबर अंकित किये गये हैं जो वाद पत्र में अंकित किये गये हैं, अगर वादी ने जमाबन्दी के मुकाबले वाद पत्र में गलत नंबर अंकित किये हैं तो वह स्वयं जिम्मेदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–03–2011 को संशोधित आवेदन खारिज करने के बाद दिनांक 18–03–2013 को पुनः वादी गिरवर के आवेदन पर संशोधित आदेश जारी कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है, चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी संख्या 2 के संशोधन आवेदन पर प्रकरण संख्या 66/2011 में दिनांक 09–03–2011 को आवेदन खारिज कर दिया था तो उक्त निर्णय अपील किये जाने योग्य था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णय की अपील स्वयं सुनकर दिनांक 18–03–2011 को जो निर्णय पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं द्वितीय अपील संख्या 55/2013 स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–03–2013 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

बद्रीलाल पिता मांगीलाल जी रेबारी, नि0 पूरियाखेड़ी, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **मृतक कन्नीराम के बजाय मु. धापू बेवा कन्नीराम जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तह.वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं.....**54 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....11**.....माह.....**08**.....**2008**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**...माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री ओंकारलाल डांगी**...मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री सुनील शर्मा/राजमल मेनारिया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2008 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

बद्रीलाल पिता मांगीलाल जी रेबारी, नि0 पूरियाखेड़ी, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **मृतक कन्नीराम के बजाय मु. धापू बेवा कन्नीराम जी रेबारी, निवासी पूरियाखेड़ी, तह.वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं.....**55 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**03**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**...माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री ओंकारलाल डांगी**...मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री सुनील शर्मा/राजमल मेनारिया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–03–2013 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दामोदरलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, नि0 बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**162/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजमल राव**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **कन्हैयालाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**212/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खेमराज डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।